



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)  
**NAAC Accreditation- "A" Grade**

**सुशील बी. पखीड़े**

SUSHIL B PAKHIDE

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Assistant Registrar (Academic)

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

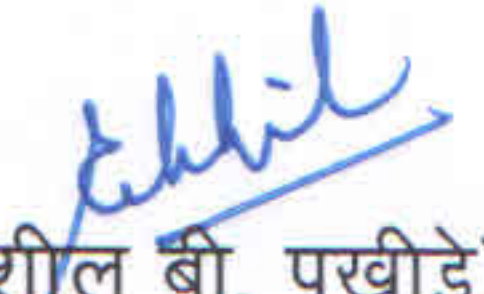
क्र. : 005/2009/TT/4 (2)/2019/SIS

तिथि : 15.07.2019

## सूचना

नये अकादमिक सत्र से समस्त पाठ्यक्रमों की समय-सारणी में बदलाव किया जाना है। सभी विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी से अनुरोध है कि वे अपने-अपने विभाग/केंद्र की समय-सारणी संलग्न पारूप में तैयार कर सहायक कुलसचिव (अकादमिक) कार्यालय में दिनांक 19.07.2019 तक प्राथमिकता के आधार पर भिजवाएं ताकि उसे सक्षम अधिकारी/समिति के समक्ष निर्देशार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत की जा सके।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

  
(सुशील बी. पखीड़े)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र।
4. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
5. परीक्षा विभाग।
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. संबंधित फाइल





# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

## समय-सारणी (प्रारूप)

|                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 09.30<br>से<br>10.30 | 10.30<br>से<br>11.30 | 11.30<br>से<br>12.30 | 12.30<br>से<br>01.30 | 01.30<br>से<br>03.00 | 03.00<br>से<br>04.00                                                                                           | 04.00<br>से<br>05.00 | 05.00<br>से<br>06.00 |
| मूल<br>पाठ्यक्रम     | मूल<br>पाठ्यक्रम     | मूल<br>पाठ्यक्रम     | मूल<br>पाठ्यक्रम     | अंतराल               | अनिवार्य-डिप्लोमा-सर्टिफिकेट<br>पाठ्यक्रम, व्याख्यान, बैठकें आदि<br>का आयोजन 03 से 06 के बीच<br>में किये जाएँ। |                      |                      |

Ar  
0.5/2/15